



वर्षापूर्व परीक्षा  
श्री श्री कृष्ण मठ - रायपुर  
श्री श्री कृष्ण मठ - रायपुर

प्रश्नों पर अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काव्यकारों अर्थिनियम

अप्रश्नीकरण.....

1. तिरुज पूत्र श्री खमाणा
2. जगदीश पूत्र खमाणा
3. मनकोटी पत्नी खमाणा
4. पतासी पूत्री खमाणा
5. कमला पूत्री खमाणा
6. सुगनी बेवाह स्व. राजकमार
7. राकेश पूत्र स्व. राजकमार
8. अंकित पूत्र स्व. राजकमार
9. पिकू पूत्री स्व. राजकमार
10. महावानाराम पूत्र लिखमाण
11. आभयकावा पूत्र लिखमाण
12. शुककण्ठ पूत्र लिखमाण
13. रामचन्द्र पूत्र श्री रत्नाराम
14. रामनिवास पूत्र मीठा
15. जनाराम पूत्र गोशाराम
16. सावरमल पूत्र गोशाराम
17. यानाराम पूत्र गोशाराम
18. सोहनी बेवाह गोशाराम
19. श्रीमान तहसील मं. आभिलेख कतेहपुर जिला सीकर राजस्थान

धनाम

रायचन्द्र पूत्र श्री खमाणा उम्र 50 साल जाति जाट निवासी ग्राम विरगिया तहसील कतेहपुर जिला सीकर राजस्थान

प्रश्नी.....

दिनांक नम्बर - 22/2018

वर्षापूर्व परीक्षा का नाम-

देन मीणा आर.ए.एस.

रायचन्द्र उषण्ड आहिकारी, कतेहपुर (सीकर)



उपरोक्त अधिकांश  
कृषि/पशु

2-

कटावना बाहरी है।

उपरोक्त खेत खसरा नंबरों का रास्ता पनाडोहीनुमा मॉक पर मौजूद है राजस्व रिकॉर्ड में उपरोक्त रास्ता कटा हुआ नहीं है इसलिए प्राथी उपरोक्त रास्ते को राजस्व रेकार्ड में

तबदील करवाना चाहता है।

मौजूद है जो कटाणी रास्ता नहीं है उक्त रास्ते को प्राथी कृषि भूमि को कटाणी रास्ते में होकर खसरा नंबर 423 व खसरा नंबर 422 तक पनाडोहीनुमा रास्ता मॉक पर 12 फुट चौड़ा उक्त कृषि भूमि में आने जाने का पनाडोहीनुमा रास्ता खेत खसरा नंबर 424 में से

तेधार है।

निर्धारित डी.एल.सी. किमत से रास्ते कि भूमि की कीमत बनती है वो प्राथी जमा करवाने को में से पनाडोही को आम प्रचलित रास्ते में कटावना बाहरी है जिसकी राज्य सरकार द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में उक्त रास्ते को मुझ प्राथी द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 18 की कृषि भूमि उपरोक्त रास्ते को खसरा नंबर 424 में से होते हुये खसरा नंबर 423 व खसरा नंबर 422 तक पर मौजूद है। बल्कि उपरोक्त पनाडोहीनुमा रास्ता का राजस्व रिकॉर्ड में टंकन नहीं है। लिए काफी वर्षों से उपयोग-उपयोग में लिये जाने वाला प्रचलित पनाडोहीनुमा रास्ता मॉक वाले कृषि यंत्र व अपने खेत में से अनाज व पशुओं को लाने व ले जाने इत्यादि कार्यों के जिसमें से उपरोक्त कृषि भूमि के खातेदार अपने खेत कृषि हेतु उपयोग-उपयोग में लिये जाने मॉक पर मौजूद है जो खसरा नंबर 423 से होकर खसरा नंबर 422 तक आता जाता है। नंबर 424 में से होकर दक्षिण दिशा की ओर से 12 फुट पनाडोहीनुमा आम प्रचलित रास्ता बड़ा सड़क रास्ता जाता है, जिसमें से होकर एक पनाडोहीनुमा आम प्रचलन रास्ता खेत खसरा सड़क के खसरा संख्या 336 रकबा 0.64 हैक्टर वाके ग्राम बिराणिया से चलकर ग्राम कारंगी उपरोक्त कृषि भूमि में मुझ प्राथी व अप्राथीगण संख्या 1 ता 18 के आम रास्ता

परिवार के सदस्य है।

उक्त कृषि भूमि खसरा नंबर 422 रकबा 4.0300 हैक्टर, खसरा नंबर 423 रकबा 4.0300 हैक्टर, खसरा नंबर 424 रकबा 4.0500 हैक्टर कृषि भूमि मुझ प्राथी व अप्राथीगणों की पूर्ण कृषि भूमिया है। मुझ प्राथी व अप्राथीगण संख्या 1 लगायत 18 एक ही संयुक्त

ग्राम वाद पत्र में विवाहित रास्ते की भूमि के नाम से संबंधित किया जावेगा।

उक्त कृषि भूमि खसरा नंबर 422 रकबा 4.0300 हैक्टर, खसरा नंबर 423 रकबा 4.0300 हैक्टर, खसरा नंबर 424 रकबा 4.0500 हैक्टर, खसरा नंबर 424 रकबा 4.0500 हैक्टर कृषि भूमि मुझ प्राथी व अप्राथीगणों की पूर्ण कृषि भूमिया है। मुझ प्राथी व अप्राथीगण संख्या 1 लगायत 18 एक ही संयुक्त



Handwritten notes in blue ink at the top left, including the name 'श्री. म. लो.' and some illegible text.

आदेश आज दिनांक 15.06.2018 को कैम्प कोर्ट दांतक में सुनाया गया

Handwritten notes in blue ink below the court order, including the name 'श्री. म. लो.' and some illegible text.

नम्बर से कम हो।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार है 251ए की श्रेणी में नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी आम रास्ते से उपलब्ध है। जो प्रार्थी के खेत के नजदीक है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र नंबर 422 बाकें ग्राम बिराणिया में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 423, 424 में से बांटा गया अवलोकन किया गया एवं मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में खेत खेत फतेहपुर से जारिये पत्रांक 13 दिनांक 15.06.18 के रिपोर्ट प्राप्त हुई। पत्रावली का ध्यान पूर्व कोर्ट दांतक पर पेश हुई। पत्रावली में तहसीलदार, फतेहपुर से रिपोर्ट मांगी गयी। तहसीलदार 14, 16 की ओर से श्री विधापर सैन एडवोकेट ने बकालतनामा पेश किया। पत्रावली आज केन अप्रार्थीना संख्या 1 ता 7, 9, 11 ता 13 की ओर से श्री महेश चौधरी एड. व अप्रार्थी संख्या प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीना की तलवी जारी की गयी।

टंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। 424 व 423 व 422 तक के खेतों में से होकर आने वाले रास्ते को राजस्व रिकार्ड में रास्ते की भूमि की कीमत बनती है जो प्रार्थी जमा करवाने को तैयार है। व खेत खसरा नंबर आम प्रचलित रास्ते में कटवाना चाहता हूँ जिसकी राज्य सरकार द्वारा निधारित कीमत से उक्त रास्ते को मुझ प्रार्थी द्वारा प्रतिवादीना संख्या 1 ता 18 की कृषि भूमि में से पगडण्डीको खसरा नंबर 424 में से हौते हुये खसरा नंबर 423 व खसरा नंबर 422 तक राजस्व रेकार्ड में बल्कि उपरोक्त पगडण्डीनुमार रास्ता का राजस्व रेकार्ड में टंकन नहीं है। उपरोक्त रास्ते को वर्षों से उपयोग-उपयोग में लिये जाने वाला प्रचलित पगडण्डीनुमा रास्ता मौके पर मौजूद है। कृषि पत्र व अपने खेत से अनाज व पशुओं को लाने व ले जाने इत्यादि कार्यों के लिए काफी विम्व से उपरोक्त कृषि भूमि के खातेदार अपने खेत कृषि हेतु उपयोग में लिये जाने वाले प्रचलित रास्ता मौजूद है जो खसरा नंबर 423 से होकर खसरा नंबर 422 तक आता जाता है। खसरा संख्या 424 में से होकर दक्षिण दिशा की ओर से 12 फुट पगडण्डीनुमा आम रास्ता बना सड़क रास्ता जाता है, जिसमें से होकर एक पगडण्डीनुमा आम प्रचलन रास्ता खसरा संख्या 336 रकबा 0.64 हेक्टर बाकें ग्राम बिराणिया से चलकर ग्राम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निर्देन है कि मुझ प्रार्थी के खेत में जाने वाला रास्ता

